

दिनांक 16.05.2021 को वादी श्री तौफीक पुत्र रफीक निवासी मो0 इमली कस्बा व थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर की तहरीर के आधार पर मु0अ0स0 349/21 धारा 308/452/384/504 भादवि बनाम 1. राजा उर्फ शादाब खाँन पुत्र बब्बू खाँन निवासी मो0 दिलाजाक कस्बा व थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर 2. 02 अज्ञात लोग के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था तथा मजरुब/वादी के भाई शब्बू उर्फ सलीम पुत्र स्व0 रफीक निवासी मो0 इमली कस्बा व थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर को ईलाज हेतु CHC अस्पताल भेजा गया था जो जिसे जिला अस्पताल रेफर किया गया जहाँ मजरुब की ईलाज के दौरान मृत्यु हो गयी थी जिस कारण मुकदमा को धारा 308 भादवि से धारा 304 भादवि मे तरमीम किया गया।

उक्त घटना को श्री एस0 आनन्द पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद शाहजहाँपुर के द्वारा गम्भीरता से लेते हुए तत्काल अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के निर्देश दिये गये जिसके अनुपालन मे श्री संजीव कुमार वाजपेयी अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में, श्री परमानन्द पाण्डेय क्षेत्राधिकारी तिलहर के पर्यवेक्षण एवं हरपाल सिंह प्रभारी निरीक्षक तिलहर के नेतृत्व मे गठित पुलिस टीम द्वारा दिनांक 16.05.2021 को मुकदमा उपरोक्त के नामजद अभियुक्त राजा उर्फ शादाब खाँन को भक्सी तिराहा से समय करीब 17.40 बजे गिरफ्तार कर किया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना मे प्रयुक्त डण्डा भक्सी तिराहे पर स्थित ओमकार राठौर पुत्र सीताराम राठौर की कोल्ड ड्रिंक की दुकान के पीछे से बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार किये गये अभि0 गण का विवरण:-

1. राजा उर्फ शादाब खाँन पुत्र बब्बू खाँन निवासी मो0 दिलाजाक कस्बा व थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर
अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 349/21 धारा 304/452/384/504 भादवि

बरामदगी का विवरण –

1. एक अदद डण्डा घटना मे प्रयुक्त

अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री हरपाल सिंह बालियान थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर
2. उ0नि0 श्री कुलदीप सिंह थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर
3. हे0का0 35 अब्दुल कामिल थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर
4. का0 2128 सन्नी कुमार थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर